कार्यालय नगर परिषद, मेदिनीनगर

ज्ञापांक .... दिनांक ....

अतिअल्पकालीन दर आमंत्रण सूचना संख्या 07 / 2017–18

नगर परिषद मेदिनीनगर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न वार्डों में ग्रीष्मकालीन टैंकर द्वारा जलापूर्ति हेतु इच्छुक व्यक्ति / संवेदक नगर परिषद मेदिनीनगर में निबंधित संवेदक अलग–अलग ग्रुप के लिए बन्द लिफाफे में दर दे सकते है। पानी वितरण हेतु नगर परिषद क्षेत्र को चार ग्रुप में विभक्त किया गया है। ग्रुप नं0 1 (वार्ड नं0 1 से 7 तक), ग्रुप नं0 2 (वार्ड नं0 8 से 14 तक), ग्रुप नं0 3 (वार्ड नं0 15 से 20) एवं ग्रुप नं0 4 (वार्ड नं0 21 से 26 तक) प्रति टैंकर की क्षमता 3000 ली0 की होगी। दर के साथ प्रत्येक ग्रुप के लिए मो0 5000 (पाँच हजार रू0) का ड्राफ्ट जो कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद के पदनाम से निर्गत होगा। तथा भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा पर भुगतेय होगा। साथ ही ट्रक्टर एवं टैंकर की सभी कागजात तथा ड्राइविंग लाइसेंस की छाया प्रति देना होगा। प्रति ट्रीप जलापूर्ति की निर्धारित राशि अधिकत्तम 495.00 (चार सौ पन्चानवे रू0) प्रति ट्रीप है। कोटेशन देने की तिथि 04.05.17 को 3.00 बजे तक होगी।

संवेदक को पानी वितरण का Log Book अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर कराकर कार्यालय से प्राप्त करेंगे एवं प्रतिदिन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आपूर्ति किये गये वार्डो के वार्ड पार्षद से भी आपूर्ति की तिथि एवं समय Log Book में अंकित कर हस्ताक्षर कराना आवश्यक होगा। तथा निर्धारित सभी नियमों एवं शर्तो का पालन करना होगा। नगर परिषद द्वारा किसी भी प्रकार का यंत्र–संयत्र / कर्मी इत्यादि उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी को कभी भी किसी भी स्थिति में आपूर्ति आदेश रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। तथा किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। विपत्रों का भुगतान, राशि उपलब्ध रहने पर ही किया जायेगा।

ह0/-
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद मेदिनीनगर

ज्ञापांक 1270 दिनांक 02.05.2017

प्रतिलिपि :– नगर परिषद कार्यालय सूचना पट पर साट कर आम जनता को सूचनार्थ / सम्पादक हिन्दुस्तान / दैनिक जागरण को विज्ञापन के रूप में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

02/05

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, मेदिनीनगर

नियम एवं शर्त

1. नगर विकास एवं आवास विभाग, नगर परिषद मेदिनीनगर, झारखण्ड सरकार के पथ निर्माण विभाग एवं पेयजल स्वच्छता विभाग में निबंधित संवेदक ही निविदा देने हेतु सक्षम है।
2. शर्तयुक्त एवं अस्पष्ट निविदा मान्य नहीं होगा। मुहरबंद लिफाफा के उपर निविदा क्रमांक एवं कार्य का नाम अंकित करना अनिवार्य है।
3. निविदा के साथ समुचित श्रेणी में निबंधन पत्र, अद्यतन आयकर भुगतान प्रमाण–पत्र, वाणिज्य–कर सफाया प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण – पत्र की अभिप्रमाणित सुस्पष्ट प्रति प्रस्तुत करना होगा।
4. संवेदक को प्रतिट्रीप राशि रू0 अधिकतम 495 (चार सौ पन्चानवे) रूपया भुगतान किया जायेगा।
5. संवेदक को ट्रैक्टर, पानी टंकी, इंधन, पानी निकालने हेतु पम्प का खर्च स्वयं वहन करना होगा।
6. प्रत्येक वार्ड में सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक Maximum 05 ट्रीप प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी। आवश्यकता बढ़ने पर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के आदेशानुसार ट्रीप बढ़ाई जा सकेगा।
7. पूरे नगर परिषद क्षेत्र को चार कलस्टर बाँटकर पेयजल आपूर्ति की जायेगा।
8. जलापूर्ति की Monitoring व्यवस्थित तरीके से की जायेगी।
9. आपूर्ति टैंकरो का लॉकबुक प्रतिदिन कार्यालय में जमा की जायेगी।
10. शाहपुर में अवस्थित इंटेकवेल पर संवेदक का अपना डिजल पम्प लगाना होगा।
11. कर्मियों का रोस्टर बनाकर जलापूर्ति पर निगरानी रखा जायेगा।
12. जलापूर्ति 07.05.2017 से 15.06.2017 तक किया जायेगा।
13. संवेदकों का चयन विभागीय निदेशानुसार **"निविदा निस्तार समिति"** द्वारा किया जायेगा। बिना कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने अथवा एक ही कार्य को एक से अधिक संवेदको के बीच बांटने का समस्त अधिकार समिति के द्वारा दिया गया आदेश ही मान्य होगा।
14. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में समिति के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य होगा।
15. आवंटन उपलब्ध रहने पर ही कराये गये कार्यों का भुगतान सम्भव होगा।
16. किसी भी प्रकार का न्यायिक विवाद का निबटारा स्थानीय न्यायालय में ही किया जा सकेगा।
17. विशेष जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

02/05

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, मेदिनीनगर